## 36. पीएनबी स्वर्ण कृषि ऋण योजना (पीएनबी गोल्ड कृषि ऋण योजना)

किसानों को उनकी अल्पकालिक कृषि ऋण एवं निवेश आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु।

**पात्रता :** कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति साथ ही भारत सरकार / आरबीआई द्वारा अनुमत गतिविधियों में लगे व्यक्ति जिन्हें कृषि के तहत वर्गीकृत किया गया है। ऋण घोषणा के आधार पर किया जाएगा। रू.1 लाख से अधिक के ऋण के लिए की जाने वाली गतिविधि का अतिरिक्त प्रमाण देना होगा।

**ऋण की प्रकृति** :

**क) अल्पावधि उत्पादन ऋण** :

इसे कैश क्रेडिट / अधिविकर्ष के रूप में दिया जा सकता है अथवा जहां केसीसी सुविधा अनुमत है एक वर्ष की अवधि के सथ एकल लेन-देन का मांग ऋण, केसीसी योजना पर लागू दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

**ख) सावधि ऋण** : उद्देश्य पर आधारित 36-60 महीनों तक।

**मार्जिन** : कैश क्रेडिट/अल्पावधि ऋण 5%, सावधि ऋण - 20%

**ऋण की चुकौती :**

**कैश क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट** : एक ऑपरेटिव सीमा / कैश क्रेडिट खाता वार्षिक समीक्षा के आधार पर 5 साल की अवधि के लिए (संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार)

**मांग ऋण** : चुकौती प्राप्त होने वाली आय पर तय की जानी चाहिए जिसे फसल एवं विपणन समय के साथ जोड़ा जाए, कुल अवधि 18 माह से अधिक न हो।

**सावधि ऋण** : ऋण की चुकौती अवधि सावधि ऋण उद्देश्यानुसार तय की जानी चाहिए परंतु यह 5 वर्ष से अधिक न हो व इसे फसल एवं विपणन मौसम / गतिविधि से आय की जेनरेशन से जोड़ा जाए।